- प्रस्तावना
- सर्व शिक्षा अभियान
- सेवा कालीन शिक्षक –प्रशिक्षण
- शिक्षक – प्रशिक्षण का विकास
- अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व
- शोध का शीर्षक
- शोध समस्या का कथन
- शोध के उद्धेश्य
- शोध की परिकल्पना
- शोध का क्षेत्र

अध्याय–प्रथम

शोध परिचय

(1) प्रस्तावना :– किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके अध्यापकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यही कारण है कि अध्यापकों को सर्वोत्तम व्यवसाय की संज्ञा दी गई है।

कोठारी कमीशन ने अपने रिपोर्ट का आरंम्भ इस कथन से किया है –भारत के भाग्य का निर्माण देश के कक्षा –कक्षा में किया जाता है। किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था का मूल आधार शिक्षक हैं । शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु अनेक प्रयास किये जा रहें हैं, जिनमें अध्यापक प्रशिक्षण इस संम्बंध में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता हैं । **प्रशिक्षण का** तात्पर्य हैं, उन विभिन्न विधाओं और प्रविधियों के विकास से हैं, जिनमें कोई अपने सामान्य और विशिष्ट ज्ञान को इस तरह प्रयुक्त करने में सक्षम हो जाता है, कि वह लोक सेवा में उसका सफलता पूर्वक उपयोग कर सकते हैं, अतः बौद्विकता का सामान्य शिक्षा में विशिष्टता विशेष शिक्षा से और प्रशिक्षण उपयोग की पद्वति से संवंन्धित है।

शिक्षा की भावी रूप रेखा को लेकर प्रत्येक राष्ट्र में सदैव ही कुछ न कुछ चर्चा होती रहती है। शायद ही कोई राष्ट्र हो, जिसमें शिक्षा के महत्व को आज न पहचाना जा रहा हो। प्रायः सभी देश मानने लगे हैं, कि यदि किसी भी राष्ट्र को ऊपर उठाना है, तो शिक्षा पर बल देना तथा आर्थिक आय वृद्वि के लिये शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया जाना अत्यंन्त आवश्यक है। हमारा प्रशिक्षण उद्देश्य अभिप्रेरित वर्गों के लिए कार्यपरक साक्षरता तथा सभी वर्गों के लिये सामूहिक साक्षरता होना चाहियें। इसका परिणाम यह होगा कि हमें राजनैतिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्तर पर निराश नही होना पडेगा। यह भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के लिये अन्य देशों की अपेक्षा अधिक आवश्यक हैं। म.प्र. में विगत दशक से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सकारात्मक बदलाव आयें हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा सर्वशिक्षा अभियान जैसी परियोजनाओं के संचालन के तहत अनेक महत्वपूर्ण नवाचार परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में हुये हैं। इन नवाचारों के सकारात्मक परिणाम भी सामने आयें हैं। शिक्षा केवल विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इन सूचनाओं को जीवन की समूची रूपरेखा में इस प्रकार से जोड़ने का एक महान प्रयास हैं, कि जीवन प्रभावशाली एवं सार्थक हो सके ।

(1.2) सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

(1.2.1) प्रस्तावना :–

भारतीय संविधान की 45 वीं धारा में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा कार्य येाजना 1992 में इसके लिए संकल्प किया गया।

राज्यों के शिक्षा मंत्रियेां ने 1998 में यह संकल्प किया कि सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा एक मिशन के रूप में स्वीकार करके संचालित की जानी चाहिए। इस सम्मेंलन की सिफारिशों के आधार पर " **सर्व शिक्षा अभियान**" योजना विकसित की गयी, जिससे सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लंक्ष्य रखा गया, जिसे नम्वबर 2000 में मंजूर किया गया । यह अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिसमें लड़कियों,अनुसूचित जातियेां ,अनूसूचित जनजातियेां और कठिन परिस्थितियेां के अन्य बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(1.2.2) सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्वेश्य और लक्ष्यः–

- ⇨ बालिकाओं, विकलांग बच्चों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों सहित सभी बच्चों को प्रारंभिक कक्षाओं में दाखिल करना और उनके लिए उच्च प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
- ⇨ सभी बच्चों के लिए संतोषजनक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान को शामिल करके सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य का विस्तार करना।
- ⇨ बीच में विद्यालय छोड़ने वाले ,कामकाजी बच्चों और औपचारिक विद्यालय न जा सकने वाली बालिकाओं के लिए अनैापचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
- ⇨ शिक्षक की क्षमता का विकास करना।
- ⇨ प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रम करना।
- ⇨ कार्यक्रमों को देने और उनका मानीटिरिग करने में समुदाय की भागीदारी बढ़ाना।
- ⇨ वंचित वर्गा तक उन्नत सुविधाओं की पहुँच कराना।
- ⇨ विद्यालयों में कार्यकलाप के निरीक्षण कार्य में विद्यालय प्रबंधन समितियेां के साथ समुदाय की भागीदारी की व्यवस्था।

(1.2.3) सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख विशेषता :–

- ⇨ यह बेसिक शिक्षा द्वारा सामाजिक समानता स्थापित करने का एक प्रयास है।

- ⇨ यह पंचायती राज संस्थाओं ,विद्यालय प्रबंध समितियों ,ग्राम तथा शहरी गंन्दी बस्तियों की शिक्षा समितियें ,शिक्षक –अभिवावक संध ,मदर टीचर संध तथा कबायली स्वायत परिषदों को प्रारंभिक स्कूलों के प्रबंध में शामिल करने का प्रयास है।
- ⇨ यह सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए राजनीतिक संकल्प की एक अभिव्यक्ति है।
- ⇨ यह केन्द्र ,राज्य तथा स्थानीय शासन की साक्षेदारी का एक संकल्प है।
- ⇨ यह प्रारंभिक शिक्षा के विकास तथा राज्यों के लिए एक अवसर है।
- ⇨ यह सामुदायिक स्वामित्व पर बल देता हैं ।
- ⇨ यह संस्थागत क्षमता के निर्माण पर बल देता है, जिससे गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
- ⇨ इसमें बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान की गयी है।
- ⇨ सर्व शिक्षा अभियान के ढ़ाँचे में जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना को आधार बनाया गया है।
- ⇨ इस अभियान की अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गयी ।

(1.2.4) सबके लिए शिक्षा धोषणा पत्र :–

मार्च 1990 में जोमेतिएन, थाइलैंड़ में आयेाजित सबके लिए शिक्षा संवंधी विश्व संम्मेलन में एक धोषणा पत्र द्वारा सभी सदस्य राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों से सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य पूरा करने के कारगर उपाय करने की मांग की गई।

<u>ये आवश्यकतायें इस प्रकार विर्निष्ट है :–</u>

(1) साक्षरता,मौखिक अभिव्यक्ति,अंकज्ञान और समस्या समाधान जैसे ज्ञानर्जन के अनिवार्य कौशल ।

(2) ज्ञान, कौशल मूल्य और मनोवृत्ति जैसे बुनियादी ज्ञानार्जन की विषय वस्तु । ज्ञानार्जन हेतु इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबके लिए शिक्षा धोषणा पत्र में वुनियादी शिक्षा के व्यापक स्वरूप को ध्यान में रखा गया, जिसमें औपचारिक विद्यालयी शिक्षा, अनेापचारिक शिक्षा कार्यक्रम

और मुक्त शिक्षा व्यवस्था शामिल है। ये सभी माध्यम बच्चों और बड़ों तक बुनियादी शिक्षा पहुँचाने के प्रयास हैं।

(1.2.5) प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण :–

वर्तमान समय में भारत की प्रारंभिक व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था में से एक हैं, किन्तु देश में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या विश्व में सर्वाधिक हैं, जो विश्व की इस प्रकार की कुल जनसंख्या का 22 प्रतिशत हैं। विश्व के प्रौढ़ निरक्षर का 30 प्रतिशत भारत में है, अतः देश में साक्षरता स्तर को सुधारने के लिए सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य रखा गया। इसके अंन्तर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों एवं 15 से 35 आयु वर्ग के प्रौढ़ों को शामिल किया गया, जबकि सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों को शिक्षित करना है, इसमें 60 प्रतिशत लड़कियाँ होगी एवं 15 से 35 आयु वर्ग के प्रौढ़ों को साक्षर करने का लक्ष्य हैं ,जिसमें पर्याप्त महिलायें होंगी। जनसांख्यिक दबाव के कारण यह संख्या आगे बढ़ भी सकती है। यह केवल सन् 2050 तक के लिए है।

(1.2.6) सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख निर्माणक अंग :–

- ⇨ शिक्षकों की नियुक्ति
- ⇨ शिक्षक प्रशिक्षण
- ⇨ प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार
- ⇨ शिक्षण –अधिगम सामग्री का प्रावधान
- ⇨ ब्लाक कक्षों तथा विद्यालय भवनों का निर्माण, शिक्षा गारण्टी केन्द्रों की स्थापना

(1.2.7) सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों की योजना :–

(1) नौवी योजना :– सर्व शिक्षा अभियान के अंर्न्तगत नौवी योजना में केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य 85:75 की सहभागिता प्रवंध के आधार पर सहायता दी गई ।

(2) दसवीं योजना :– दसवीं योजना के दौरान सहभागिता प्रवंध 75:25 है तथा इसके बाद यह 50:50 के आधार पर दी जाएगी।

Regional Institute of Education LIBRARY

(3) ग्यारवहीं योजना :– 11 वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान के खर्च के मौजूदा प्रावधानों में बदलाव को निम्न प्रकार से मंजूरी दी गई :–

- ⇨ वर्ष 2008 –09 के बीच केन्द्र व राज्यों का यह वटवारा 65:35 प्रतिशत के अनुपात में होगा ।
- ⇨ वर्ष 2009 –10 में 60:40 प्रतिशत के अनुपात में होगा ।
- ⇨ वर्ष 2010 –11 में 55:45 प्रतिशत के अनुपात में होगा ।
- ⇨ वर्ष 2011 –12 में 50:50 प्रतिशत के अनुपात में होगा।

(1.3) सेवाकालीन शिक्षक –प्रशिक्षण :

(1.3.0) प्रस्तावना :–

सर्व शिक्षा अभियान में प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता स्थापित करने के लिए शिक्षक और बच्चों के उपलब्धि स्तर को उन्नत करने के कार्य की आवश्यकता को प्राथमिकता के आधार पर अनुभव किया गया। इस योजना के तहत सभी महत्वपूर्ण धटकों को तथा सीखने के वातावरण के महत्वपूर्ण कारकों जैसे पाठ्यक्रम,पाठयपुस्तक,सहायक शिक्षक सामग्री,प्रशिक्षण सामग्री तथा सामुदायिक सहभागिता एवं शिक्षक सुदृढ़ीकरण से जुड़े सभी क्षेत्रों को समाहित किया गया है।

(1.3.1) शिक्षक प्रशिक्षण का अर्थ :–

शिक्षक प्रशिक्षण का अर्थ है, गुणात्मक शिक्षा की लक्ष्य प्राप्ति में शिक्षकों को सक्षम बनाना, जिससे वह अपने विषय, शिक्षक शास्त्र, कक्षा प्रक्रिया में दक्ष हो सकें, जिससे कि बच्चों के उपलब्धि स्तर को बढाया जा सके और सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य सब पढ़े –सब बढ़ें को सार्थक किया जा सके ।

(1.3.2) शिक्षक प्रशिक्षण के प्रकार :–

(अ) सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण

(ब) परिचात्मक शिक्षक प्रशिक्षण

(अ) सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण :–

यह प्रशिक्षण शासकीय प्रारंभिक शालाओं में सेवारत शिक्षकों को वार्षिक रूप से दिया जाता है।

प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण विन्दु :–

- ✓ विषयवार मार्गदर्शिकाओं को कार्यशाला माध्यम से तैयार करके प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र को उपलब्ध कराये जाना ।
- ✓ योग और शैक्षणिक,सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन से आनन्दायी ,स्वस्थ तथा प्रेरणादायक वातावरण का निर्माण ।
- ✓ अबधाराणात्मक समंक्ष के सुद्रढीकरण के लिए प्रत्यक्ष निधि के साथ वीडियों लेसन का प्रस्तुतीकरण ।
- ✓ वर्कशीट्स कार्य से प्रत्येक अवधारणा की प्रगति का परीक्षण तथा सहायक शिक्षक सामग्री का निर्माण ।
- ✓ डाइट पर प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट से शिक्षकों की उपलब्धि का आंकलन कर उसका विश्लेषण ।
- ✓ राज्य स्तर के प्रशिक्षण कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु जिलों को प्रशिक्षण नियम, दस्तावेजीकरण और पर्यवेक्षण संवंन्धी दिशा निर्देश व मार्गदर्शन ।

(ब) परिचात्मक शिक्षक प्रशिक्षण :–

यह प्रशिक्षण के नवनियुक्त शिक्षकों को जिला स्तर पर प्रदान किया जाता है। नियुक्ति के उपरांत विशिष्ट विषयों में जिला स्तर पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण जिलों के जिला, शिक्षकों एवं प्रशिक्षण संस्थान (ड़ाइट) पर जिला स्त्रोत समूह दिया जाता है। इसके उपरांत शिक्षक संवंधित शाला में जाकर शिक्षण का कार्य करते है।

शेष 20 दिवस का पाठक्रमों, विषयों के प्रशिक्षण, डाइट /जिले द्वारा निर्धारित तिथियों में पृथक से नवनियुक्त शिक्षकों को प्रदान किया जाता है।

(1.3.3) <u>शिक्षक प्रशिक्षण के उद्देश्य:–</u>

- ➢ शिक्षकों को गुणवत्ता लक्ष्य प्राप्ति के लिये तैयार करना ।
- ➢ शिक्षकों को पालक शिक्षक संघों के माध्यम से समुदाय से जोड़ना ।

- बालिका शिक्षा और समेकित शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना ।
- पाठ्यक्रम के कमजोर क्षेत्रों में शैक्षिक सुदृढ़ीकरण करना ।
- मूल्यांकन के कौशलों की प्राप्ति से कमजोर विद्यार्थियों की पहचान करना।
- निदानात्मक शिक्षण व्यवस्था के लिए प्रोत्साहित करना।
- मानव के सीखने की प्रक्रिया समक्षने में सहायता देना।
- शिक्षकों को अपने विषयों को पढाने की योग्यता और सहायता देना।
- अध्यापक कार्य को सृजनशील बनाना।
- स्वयं की व्यवसायिक योग्यता बढ़ाने की जिज्ञासा उत्पन्न करना ।
- शिक्षा में शोध और अन्वेशण के प्रति संवेदनशील होना।
- भावी शिक्षकों के व्यवसायिक चेतना और आदर्श उत्पन्न करना।

(1.3.4) शिक्षक प्रशिक्षण के लक्ष्य :–

- बालिकाओं, विकलांग बच्चों ,अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों सहित सभी बच्चों को प्रारंभिक कक्षाओं में दाखिल करना और उनके लिए उच्च प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
- सभी बच्चों के लिए संतोषजनक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान को शामिल करके सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य का विस्तार करना।
- बीच में विद्यालय छोड़ने वाले ,काम काजी बच्चों और औपचारिक विद्यालय न जा सकने वाली बालिकाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करनां ।
- शिक्षक की क्षमता का विकास करना ।
- प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रम करना ।

- कार्यक्रमों को कार्यरूप देने और उनका मानीटिरिग करने में समुदाय की भागीदारी बढ़ाना।
- वंचित वर्गों तक उन्नत सुविधाओं की पहूँच कराना।
- विद्यालयों में कार्यकलाप के निरीक्षण कार्य में विद्यालय प्रबंधन समितियें के साथ समुदाय की भागीदारी की व्यवस्था।

(1.3.5) सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजनः–

सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमें के सफल आयोजन और संचालन के लिए पूर्व–नियेाजन ,समुचित व्यवस्था, कठिन परिश्रम और पूर्व विचार की आवश्यकता होती है। तभी इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता हैं। शिक्षा के विभिन्न स्तरें पर पाठ्क्रम, अध्यापकों व छात्रों की क्षेत्रीय कठिनाइयें के अनुरूप प्रशिक्षण की अलग–अलग आवश्यकतायें होती है इसलिए शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने के पूर्व एक गहन अध्ययन और नियोजन अनिवार्य होता है।

इस विषय में निम्न लिखित विन्दुओं पर पूर्वविचार अपेक्षित है :–

- ✓ प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निरूपण
- ✓ प्रशिक्षण के लिए अध्यापकें का चयन
- ✓ प्रशिक्षण केन्द्र के निरूपण का चयन
- ✓ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वित्तीय प्रवंन्धन, कार्यक्रम संचालन,मूल्यांकन एवं अनुगमन प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनावश्यक तत्व

(1.3.6) अनुभवजन्य व सहभागिता प्रशिक्षण :'–

किसी अनुभवजन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य कार्यकारी सिद्वांन्त यह है, कि शिक्षकों से जिस पढ़ाई के तरीके की आशा की जाती है, उसे वे स्वयं अनुभव कर सकते है इसलिए इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी कुछ व्याख्यान के माध्यम से नहीं किया जाता , बल्कि गतिविधियाँ ,मौखिक पाठ चर्चाए व अन्य प्रयोग किए जाते है, जिससे स्वयं ही अपनी समक्ष विकसित कर सकें। यहाँ ज्ञान को लादने या प्रदान करने जैसी कोई बात नही है। ट्रेनर का उद्धेश्य होता है। एक महौल तैयार करना जो शिक्षकों को उनकी स्थिति का पुनर्निरिक्षण करने को बाध्य करें , यथोचित नीतियाँ बनाई जायें एवं उस दिशा में आगे बढ़ा जाये, जहाँ प्रशिक्षिक और प्रशिक्षु सम्मिलित रूप से सहमत हों । प्रशिक्षक सीखने के लिए जो मूल चक्र निर्धारित करता है, वह निम्न प्रकार है :–

↳ ऐसा संदर्भ या सीखने का वातावरण तैयार किया जाए, जिसमें प्रतिभागी स्वयं सीखने का अनुभव ले। यह अनुभव गतिविधियों,खेल,नाटक,निर्देशन ,चर्चा, बहस अवलोकन, सामूहिक कार्य, पठन आदि के रूप में हो सकता है। कभी – कभार, खासकर चर्चा के दौरान पूर्व अनुभवों का उपयोग किया जा सकता है।

↳ इस अनुभव का मूल्यांकन, विचार विमर्श, तुलनात्मक, विरोधात्मक मान्यताओं की वैधता की जाँच आदि तरीकों से किया जा सकता है।

(1.4) भारत में शिक्षक –प्रशिक्षण का विकास :–

- प्राचीन काल
- मध्य काल
- आधुनिक पद्वति का आरंभ
- बुड़ का धोषणा पत्र (1854)
- हंटर कमीशन (1882)
- शिक्षा नीति प्रस्ताव (1904)
- कलकत्ता वि.वि. आयोग (1919)
- हर्टाग सगिति (1929)

(1.4.1) प्राचीन काल :–

प्राचीन काल में शिक्षण को उच्च व्यवसाय गिना जाता था। ऋगवेद में कहा गया है कि वही व्यक्ति शिक्षक बनने के येाग्य है, जिसने स्वयं ज्ञान के आधार पर आचरण किया हो और ब्रम्हचर्य के सभी कर्तव्येां का निर्वहन किया हो। मुण्ड़ोपनिषद में भी कहा गया है, कि शिक्षक विद्वान परिवार से होना चाहिए। वह ब्रम्हनिष्ठ व ब्रम्हचारी होना चाहिए।

(1.4.2) मध्यकालः–

मध्यकाल में शिक्षक का कार्य संम्मान का कार्य ही माना जाता था। शिक्षक जीवनपर्यन्त अध्ययन अध्यापन का कार्य करता है।

(1.4.3) आधुनिक पद्वति का आरंभ :–

सबसे प्रथम शिक्षक –प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना सर्वश्री केरी ,मार्शसेन और बार्ड़ ने 1793 इेसवी में श्रीरामपुर (बंगाल) में की । यह विद्यालय डच और अंग्रेंज मिशनरियें ने मिलकर खेाला था। जून 1826 में सरकार ने सर्वप्रथम मद्रास में शिक्षक –प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की।

(1.4.4) बुड़ का धोषणा पत्र (1854):–

सन् 1854 में वुड का धोषणा पत्र प्रकाशित हुआ, इसमें शिक्षक प्रशिक्षण को बहुत महत्वपूर्ण माना गया और चुनाव तथा प्रशिक्षण के लिए कई व्यवहारिक सुक्षाव दिए गए।

(1.4.5) हंटर कमीशन (1882):–

सन 1882 में हंटर कमीशन का धोषणा पत्र प्रकाशित हुआ । इनका सुझाव था, कि शिक्षण के सिद्वान्त और प्रायोगिक शिक्षण की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना स्थायी नहीं किया जाए।

(1.4.6) शिक्षा नीति प्रस्ताव (1904):–

इस प्रस्ताव के अनुसार स्नातकें के लिए प्रशिक्षण –अवधि एक वर्ष की होनी चाहिये।

(1.4.7) कलकत्ता वि.वि. आयोग (1919):–

इस प्रस्ताव के अनुसार उच्च पाठयक्रम का उद्वेश्य यह नहीं होना चाहिए, कि डिग्री प्राप्त करने वाला एक अच्छा अध्यापक हो ,बल्कि उसे शिक्षण के सिद्वांन्तों का पूर्ण ज्ञान हो, वह छात्र को भली भांति समक्ष सके और आधुनिक शैक्षिक प्रशासन के कार्य व व्यवस्था की संकल्पना से पूर्ण परिचित हेा ।

(1.4.8) हर्टाग समिति (1929):– इस समिति के निम्न सुझाव थे:–

(1) प्रशिक्षण संस्थाओं में सुयोग्य अध्यापकों की नियुक्ति की जाए।

(2) प्रशिक्षण अवधि में वृद्वि की जाए।

(3) प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के लिए अभिनव कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाए।

(1.5.) अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व :–

विगत कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र को सुद्रढ़ करने के लिए कई स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संम्पन्न कराये जा रहें है, जों कि विभिन्न सौपानों में आयेाजित होते हैं । जिनमें बहुत अधिक मात्रा में अर्थ (पूजी) लगाया जाता हैं, यहाँ आवश्यकता के संवंन्ध में ही शिक्षक प्रशिक्षण शब्द को परिभाषित करना चाहेगे। किसी दिये गयें शैक्षिक कार्य को उचित ढ़ंग से संपादित करने के लिए व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण ज्ञान ,कौशल एवं व्यवहार के क्रमवद्व विकास का नाम शिक्षक प्रःशिक्षण है।

सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से विगत वर्षों में किए गए प्रयासों द्वारा शाला में प्रवेश न लेने वालें और प्रवेश उपरांत बीच में ही शाला त्यागने वाले बच्चों को पुनःशाला में लाने के लक्ष्य को प्राप्त करनें में हम कुछ हद तक सफल हो गए अतः शिक्षकों को चाहिए कि, वह बच्चों की विधिवत एवं बहुकक्षा शिक्षण में ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाएं जिसमें शाला में आने वाले प्रत्येक बच्चों के उपलब्धि स्तर तक प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाना आवश्यक हैं। इन्ही मुददों को ध्यान में रखते हुये केन्द्र शासन द्वारा यूनिसेफ के सहयेाग से एक कार्यक्रम (2007 में) **"ADEPTS " Advancement of Edcational performance through theacher support "** प्रारंम्भ किया गया है, जिसका उद्वेश्य है, शिक्षक सहयेाग के माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराना ।

अतःशिक्षक प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान से शिक्षक अपनी येाग्यता ,क्षमता एवं व्यक्तिगत के आधार पर अपनी सेाच समक्ष को कितना रूचिकर ,ज्ञानवर्धक बना पर रहें है, यदि नही तो क्या कारण है ? क्या छात्र सही ढ़ंग से समक्ष नहीं पा रहें हैं ? छात्रों का उपलब्धि स्तर क्या हैं ? क्या होना चाहिए ?

जिन आवश्यकताओं पर अध्ययन की आवश्यकता महसूस की गयी वह निम्न है :–

1.5.1 गतिविधि क्या,क्यों और कैसे?

1.5.2 सहायक शिक्षण सामग्री क्या ,कैसे और बनाए ?

1.5.3 बच्चों की विविधता के अनुभव कक्षा व्यवस्था एवं प्रवंधन कैसा हो ?

1.5.4 बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण में कैसी योजना बनाएँ ?

1.5.5 मूल्यांकन से तात्पर्य ,मूल्यांकन का विश्लेषण कैसे करें ?

1.5.6 प्रारंभिक कक्षाओं में लिखने पढ़ने के कौशल विकसित करने के लिए क्या करें ?

अतः इन्हीं सब मुददों के आधार पर अध्ययन की आवश्यकता महसूस की गयी ।

(1.6) शोध का शीर्षक :–

अनुसंन्धान के लिए शोध कार्य प्रारंम्भ करने से पहले यह अत्यंन्त महत्वपूर्ण होता है कि शोधकर्ता किस क्षेत्र में अपना अनुसंधान कार्य करने जा रहा हैं, व अब तक उस क्षेत्र में कितना अध्ययन हो चुका हैं और अनुसंधानकर्ता को उस क्षेत्र में काम करने में कितनी रूचि ,अभिलाषा व गहन अध्ययन है।

अतः शोधकर्ता ने अपनी रूचि के अनुसार लधु शोध को प्रारंम्भ करने के लिए "सर्व शिक्षा अभियान " का शीर्षक चुना है ,जो कि अत्यंन्त महत्वपूर्ण अध्ययन है।

(1.7) शोध समस्या का कथन :–

" सर्व शिक्षा अभियान के अंन्तर्गत सेवाकालीन शिक्षक –प्रशिक्षण के प्रभावशीलता का अध्ययन् ,अध्यापक की सोच द्वारा करना"

(1.7.1) समस्या का अर्थ व परिभाषा :–

किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के मार्ग में सबसे विकट समस्या, समस्या के चयन की है। मानव समाज अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अनेक साधनों को अपनाता है ,यदि किसी आवश्यकता की संतुष्टि किसी उपलब्ध साधन द्वारा नहीं हो पाती तो, एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि आवश्यकता की संतुष्टि के मार्ग में उपस्थित बाधा ही समस्या है। ज्यों हि साधन उपलब्ध हो जाते हैं ,वाधा दूर हो जाती है और आवश्यकता की संन्तुष्टि के साथ ही समस्या का अंन्त हो जाता है।

अर्थात – समस्या ⟹ आवश्यकता –साधन

परिभाषा :– " समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य अथवा विवरण है ,जिसमें दो चल राशियों में संम्वंन्ध ज्ञात किया जाता है"

" करलिंगर के अनुसार "

अतः शोध कार्य प्रारंन्भ करने से पूर्व शोधकर्ता ने अपने निर्देशक ,अनुभवी लोगों तथा सेमीनार के माध्यम से गहन विचार विमर्श करके शोधकर्ता ने सर्व शिक्षा अभियान के अंन्तर्गत चल रहे शिक्षक –प्रशिक्षण के विषय को चुना ।

(1.8) शोध के उद्धेश्य :–

- ↳ शिक्षक –प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना।
- ↳ शहरी तथा ग्रामीण विद्यालय के अध्यापकों का सेवाकालीन शिक्षक –प्रशिक्षण के प्रभावशीलता का अध्ययन ,अध्यापक की सोच द्वारा विस्तार पूर्वक करना ।
- ↳ पुरूष तथा महिला अध्यापकों का सेवाकालीन शिक्षक –प्रशिक्षण के प्रभावशीलता का अध्ययन ,अध्यापक की सोच द्वारा विस्तार पूर्वक करना ।
- ↳ कम अनुभव तथा अधिक अनुभव वाले अध्यापकों का सेवाकालीन शिक्षक –प्रशिक्षण के प्रभावशीलता का अध्ययन ,अध्यापक की सोच द्वारा विस्तार पूर्वक करना ।
- ↳ कम योग्यता तथा अधिक योग्यता वाले अध्यापकों का सेवाकालीन शिक्षक–प्रशिक्षण के प्रभावशीलता का अध्ययन ,अध्यापक की सोच द्वारा विस्तार पूर्वक करना ।

(1.9) शोध की परिकल्पना :–

(1.9.1) परिकल्पना का अर्थ एवं परिभाषा :–

परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ है " पूर्व –चिन्तन "अर्थात प्रारंभिक जानकारी के आधार पर किया गया पूर्वनुमान, जिसके आधार पर संम्भावित अनुसंधान को एक निश्चित दिशा प्रदान की जा सके , परिकल्पना कहलाता हैं ।

परिकल्पना दो या से अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले संम्वन्ध का अनुभावात्मक रूप से परीक्षण करने योग्य कथन है। यही एक प्रकार का सर्वोत्तम अनुमान होता है, जो कुछ ऐसी शर्ते रखता है, जो प्रदर्शित नहीं की जाती तथा जिनके परीक्षण की आवश्यकता हेाती है। परीक्षण के दौरान तथा परीक्षणोपरांन्त में सत्य भी साबित हो सकती है और मिथ्या या व्यर्थ भी।

" एक परिकल्पना अवलोकित तथ्यों को समक्षाने और अध्ययन को आगे मार्गदर्शित करने के लिए निर्मित तथा अस्थाई रूप से ग्रहण की गई एक बुद्धिमत्तापूर्वक निष्कर्ष होता है "

"गुड़ एवं स्केट्स "

(1.9.2) परिकल्पना के प्रकार :— कथन के स्वरूप के आधार पर :—

↳ सकारात्मक कथन (Positive Statement) :—

इसमें परिकल्पना कथन सकारात्मक रूप से करते हैं। जैसे,लड़के ,लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं।

↳ नकारात्मक कथन (Nigative Statement):—

इसमें परिकल्पना कथन नकारात्मक रूप से करते हैं। जैसे ,लड़के ,लडकियों से अधिक बुद्धिमान नहीं होते हैं।

↳ शून्य परिकल्पना (Null hypothesis):—

इसमें यह मानकर चलते हैं कि दो चर जिनमें संम्वंध ज्ञात करने जा रहे हैं, उनमें कोई अंन्तर नहीं हैं।

उदाहरणार्थ (1) वर्ग " अ " और वर्ग "ब" की बुद्धि —लब्धि में कोई अंन्तर नहीं है, (2) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के समायोजन में अंन्तर नहीं होता ।

शून्य परिकल्पना की विशेषता :—

- परीक्षण में सरलता होती है व अनुसंन्धानकर्ता को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता।
- इसमें द्वि पुच्छीय परख का प्रयोग करते हैं अर्थात दो संम्भावनाओ पर समान दृष्टि रहती है।

(1.9.3) परिकल्पना कथन के स्वरूप :—

इस परिकल्पना में अनुसंन्धानकर्ता इस बात का कथन करता है कि वह किस प्रकार के अंन्तर ,संम्वंन्ध अथवा निष्कर्ष की आशा करता है।

कथन का स्वरूप निम्न प्रकार से किया गया है:—

- घोषित स्वरूप
- शून्य अंन्तर स्वरूप
- प्रश्न स्वरूप

(1.9.4) परिकल्पना के गुण :—

- परिकल्पना समस्या का पर्याप्त उत्तर हो
- परिकल्पना समस्या का सरलतम उत्तर हो

- परिकल्पना प्रत्यात्मक दृष्टि से स्पष्ट हो
- परिकल्पना प्रमाणित करने येाग्य हो
- परिकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए
- परीक्षण के लिए यंन्त्र प्राप्त हो
- परिकल्पना किसी सिद्धान्त से समर्पित हो
- आंकड़े प्राप्त हो सके

(1.9.5) परिकल्पना का परीक्षण :–

- परिणामों का निगमन
- परीक्षण का चयन अथवा निर्माण
- न्यादर्श का निश्चय
- प्रयोग अथवा निरीक्षण
- शून्य परिकल्पना का निर्माण
- सांख्यिकीय परीक्षण का चुनाव
- सार्थकता स्तर का निश्चय
- निर्णय लेना

(1.9.6) शोध कार्य के लिए परिकल्पनाएँ :–

- शहरी तथा ग्रामीण विद्यालय के अध्यापकों का सेवाकालीन शिक्षक –प्रशिक्षण के प्रभावशीलता पर, अध्यापक की सोच में सार्थक अंन्तर नहीं हैं ?
- पुरूष तथा महिला अध्यापकों का सेवाकालीन शिक्षक–प्रशिक्षण के प्रभावशीलता पर, अध्यापक की सोच में सार्थक अंन्तर नहीं हैं ?
- कम अनुभव तथा अधिक अनुभव वाले अध्यापकों का सेवाकालीन शिक्षक–प्रशिक्षण के प्रभावशीलता पर, अध्यापक की सोच में सार्थक अंन्तर नहीं हैं?
- कम योग्यता तथा अधिक योग्यता वाले अध्यापकों का सेवाकालीन शिक्षक–प्रशिक्षण के प्रभावशीलता पर, अध्यापक की सोच में सार्थक अंन्तर नहीं हैं?

(1.10) शोध का क्षेत्रः

(1.10.1) प्रस्तावना :–

वास्तव में कोई भी अनुसंधान अध्ययन जिसकी प्रकृति कार्योत्तर अध्ययन की हो और जेा जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में समुदाय, विद्यालय ,अन्य प्रकार के संगठन एवं संस्थाओं में पारस्परिक संम्वन्ध एवं व्यवहार को समक्षने का प्रयास करता है ,वह क्षेत्र अध्ययन की श्रेणी में आता है।

इस प्रकार के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता विशेष सामाजिक अथवा संस्थागत परिस्थितियों का अवलोकन कर उससे संम्वंधित व्यक्तियें अथवा समूहों की अभिवृत्ति ,मूल्यों,प्रत्यक्षीकरण तथा व्यवहार की विशेषताओं को स्वाभाविक परिस्थितियों में ज्ञात करने का प्रयास करता है ।

परिभाषा :– " क्षेत्र अध्ययन कार्योत्तर प्रकार के अध्ययन ही है जिनका उद्धेश्य वास्तविक सामाजिक परिस्थितियेां में सामाजिक,मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक चरों में संम्वंध एवं अंन्तःक्रिया की खेाज करना है "

" कंरलिंगर के अनुसार "

समय के अभाव/कमीं और सुविधा की दृष्टि से इस अनुसंधान के अध्ययन का कार्य भोपाल जिले में फंदा तहसील के, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालय की सीमा प्रांत में किया गया।

Regional Institute of Educa
LIBRARY